

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-32/2025

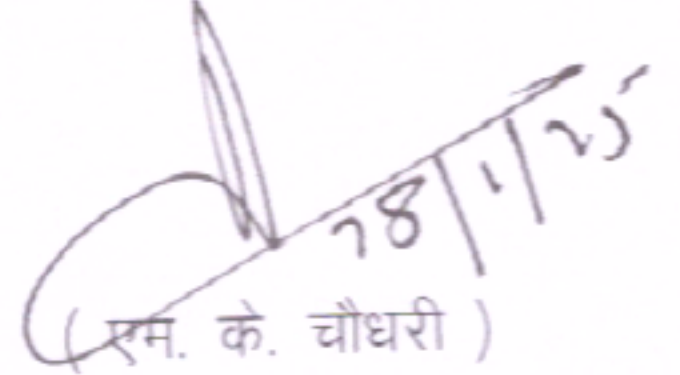
रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-PC/V/2009/ACP/2 dt. 10.06.2009 (RBE No. 101/09) के अनुपालन में MACP योजना के तहत सुयोग्यता जाँच में सफल एवं DAR/SPE/Vig. मामले से मुक्त रहने के उपरांत इंजी० विभाग/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये पे लेवल (ग्रेड पे) में वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान निम्न प्रकार किया जाता है :-

Sl.No.	Name (Sri)	Designation /Pay Level	Present Place of Working	MACP w.e.f.		Remarks
				Pay Level	Date	
1	Abhay Kumar	SSE/Works, Level-7	DDU Div. (Lien-HQ/HJP)	Level-8	01.03.2023	2 nd MACP
2	Shishupal Kumar	PS-II, Level-7	PCE Office, HJP	Level-8	30.07.2024	3 rd MACP
3	Rajendra Kumar	PS-II, Level-7	PCE Office, HJP	Level-8	30.07.2024	3 rd MACP
4	Lav Kush Singh	PS-II, Level-7	PCE Office, HJP	Level-8	30.07.2024	3 rd MACP

उपरोक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मचारी को वरीयता आदि का कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा तथा ये अपनी अगली पदोन्नति मूल वरीयता के अनुसार पायेंगे, कर्मचारी का पदनाम भी यथावत रहेगा। क्र०सं० 01 पर अंकित कर्मचारी वर्तमान में डीडीयू मंडल में कार्यरत है, अतएव इनका वेतन निर्धारण डीडीयू मंडल द्वारा किया जायेगा।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० PC-VII/2016/I/2 दिनांक-31.07.2017 (RBE No. 79/2017) के अनुपालन में यदि कर्मचारी वेतन निर्धारण निचले वेतनमान की अगली वार्षिक वेतनवृद्धि तिथि से कराना चाहते हो तो वे अपना विकल्प एक माह के अन्दर इस कार्यालय को दें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।


(स. के. चौधरी)
सकाधि/ईएसएम
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

सं०-ECR-HQ0PERS(ENGG)/21/2020

दिनांक-28.01.2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुई/पूमरे/हाजीपुर
2. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
3. सकाधि/बिल
4. अभिलेख प्रति।
5. संबंधित कर्मचारीगण।